पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 84/2021

1. ज्ञानसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी जाटान त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. मनीराम पुत्र ज्यानी व भागुराम जाति जाट निवासी जाटान, त0 भादरा।
2. चन्द्रवीर पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी जाटान त0 भादरा।
3. कृष्णकुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी जाटान त0 भादरा।
4. सुमन पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी जाटान त0 भादरा।
5. एसबीआई शाखा बस स्टेण्ड भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 106/111 के खसरा सं0 154 की 6.614है0 खसरा सं0 248 की 1.353है0 कुल 7.967है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादी स0 1 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी स0 1 ज्ञानसिंह प्रतिवादी सं0 2 चन्द्रवीर प्रतिवादी सं0 3 कृष्णकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.03.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:13:08 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 84/2021

1. ज्ञानसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी जाटान त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. मनीराम पुत्र ज्यानी व भागुराम जाति जाट निवासी जाटान त0 भादरा।
2. चन्द्रवीर पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी जाटान त0 भादरा।
3. कृष्णकुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी जाटान त0 भादरा।
4. सुमन पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी जाटान त0 भादरा।
5. एसबीआई शाखा बस स्टेण्ड भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद पुनिया **: वादी**
वकील श्री उम्मेद मोठसरा **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक : 18.03.21**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 106/111 के खसरा सं0 154 की 6.614है0 खसरा सं0 248 की 1.353है0 कुल 7.967है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसे प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से दावा की स[illegible] करते हुए अपने पहचान पत्रों के साथ से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवा[illegible] वकील वादी ने तर्क अंकित किया तथा प्रतिवादी सं0 6 की [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यक[illegible] अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में ज्ञानसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी जाटान के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमांबदी जाटान खाता सं0 106/111

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:23:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रदर्श 1 जमाबंदी ग्राम जाटान खाता सं0 32/31 प्रदर्श 2 सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 तथा जमाबंदी रोही रासलाना खाता सं0 218/198 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही जाटान के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी जाटान खाता सं0 106/111 प्रदर्श 1 जमाबंदी ग्राम जाटान खाता सं0 32/31 प्रदर्श 2 सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 तथा जमाबंदी रोही रासलाना खाता सं0 218/198 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। जिसमें जमाबंदी प्रदर्श 1–2 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 3 में वारिस प्रमाण के अनुसार मनीराम के तीन पुत्र ज्ञानसिंह, चन्द्रवीर, कृष्णकुमार व एक पुत्री सुमन तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना सावित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। तथा प्रदर्श 4 के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम वादी भूमि के अलावा रोही रासलाना में अन्य कृषि भूमि भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं0 1 व 4 ने ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 106/111 के खसरा सं0 154 की 6.614है0 खसरा सं0 248 की 1.353है0 कुल 7.967है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादी स0 1 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी स0 1 ज्ञानसिंह प्रतिवादी सं0 2 चन्द्रवीर प्रतिवादी सं0 3 कृष्णकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन [illegible] डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:23:00 IST
Reason: SelfAttested

सहा0(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक)भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)

Scanned with CamScanner